27-5-16 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने बहस करनी चाही। बहस करी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथित तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

~~[illegible]~~ मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम [illegible] पटवार हलका [illegible] तहसील मांडल में स्थित होकर रहीम बक्श पुत्र नूर मोहम्मद शेख काबिज है के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसकी ताईद जमाबन्दी सम्वत 2001 की फोटो प्रति से होती है। रहीम बक्श पुत्र नूर मोहम्मद के विवादित आराजी नं. 1402 व 1403 का बेचान किया गया। जिसकी ताईद विक्रय पत्र की फोटो प्रति से होती है। आखिर आराजी नं. 1402 व 1403 के खाता नम्बर 76 व 77 कायम हुये। जो मुस्तगीस [illegible] शेख मुसलमान काबिज है के नाम दर्ज है जरिये इन्तकाल नम्बर 183 दिनांक 19.7.2011 के द्वारा [illegible] के खाता बिला नाम खातेदार करार किया गया (पूर्ववत विभाग) के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिसकी

[signature]

खण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तार्दद प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल संवत
2068 से 2071 की होती है प्रस्तुत दस्तावेजों एवं
प्रार्थना पत्र में वर्णित नम्बरों के खाते है कि प्रार्थीगण
वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वर्णित काश्तकारान दर्ज नाम
कराना चाहता है जबकि विवादित काश्तकारान दर्ज के
पूर्वजों की होना बता रहे है पूर्वजों ने कब्जा न तो
दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत की है और न ही
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में परिवार का कथन प्रस्तुत
किया। जिससे पूर्वजों का प्रार्थीगण का संबंध होना
प्रमाणित होता [illegible] इस प्रकार विवादित काश्तकारान
में न तो प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है और
न ही सुविधा संतुलन ही प्रार्थीगण के पक्ष में है.
अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन व बेबुनियाद होने
से खारिज होने योग्य है.
अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T.A. का सारहीन
व बेबुनियाद व आधार हीन नम्बरों पर होने से
खारिज किया जाता है पत्रावली का कलम शुमार की
जाहिर सुनाया बाद के साथ संलग्न की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा